रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274937
CG-DL-E-29072026-274937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
No. 604]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 666(अ).— केन्द्रीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (यङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल में निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बानें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता—** कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है या विवाह कि संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **सेवा की अन्य शर्तें-** भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार के समरूप श्रेणी अथवा स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

अनुसूची

पद का **नाम**	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. **निदेशक**	02* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु.1,23,100-₹2,15,900/-)।	अचयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के हेतु विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत कि दशा में व्यक्तियों पर भी लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा और यदि ऐसा न हो सके तो प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति **:** भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (₹78,800–₹2,09,200/-) में संयुक्त निदेशक, जिनके पास उस श्रेणी में नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या विषय में **दो सप्ताह** का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -** 1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी', भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या संगठन के संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी' - सदस्य।	लागू नहीं होता

सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी, जो– (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (₹78,800–₹2,09,200/-) या इसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद **पाँच वर्ष** की सेवा पूरी कर ली हो; **(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हों, अर्थात्:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि; और (ii) प्रशासन या वित्त या कार्मिक मामलों में, विशेष रूप से निविदा या लागत और लेखा या भर्ती से संबंधित मामलों को संभालने का **पंद्रह वर्षों** का अनुभव। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पावधि अनुबंध सहित) जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, सामान्यतः **पांच वर्ष** से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन वर्ष** से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. संयुक्त निदेशक	02* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु.78,800-रु.2,09,200)	अचयन पद।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा और यदि ऐसा न हो सके तो प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67,700-₹2,08,700/-) में उप निदेशक, जिनके पास उस श्रेणी में नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या विषय में **दो सप्ताह** का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी, जो – (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -** 1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी', भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या संगठन के संयुक्त सचिव या वैज्ञानिक 'जी' - सदस्य।	लागू नहीं होता

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (₹67,700-₹2,08,700/-) में या इसके समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद **पाँच वर्ष** की सेवा पूरी कर ली हो; **(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हों, अर्थात्:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि; और (ii) प्रशासन या वित्त या कार्मिक मामलों में, विशेष रूप से निविदा या लागत और लेखा या भर्ती से संबंधित मामलों को संभालने का **दस वर्षों** का अनुभव। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पावधि अनुबंध सहित) जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर - बाह्य पद पर अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन(56) वर्ष** से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निदेशक	04* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु.67,700- रु.2,08,700/-)	अचयन आधारित पद।
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा और यदि ऐसा न हो सके तो

				प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।
(11)		(12)		(13)
प्रोन्नति : भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47,600 – ₹1,51,100/) में अनुभाग अधिकारी, जिनके पास उस श्रेणी नियमित आधार पर **आठ वर्ष** की सेवा हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या विषय में **दो सप्ताह** का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; अथवा भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44,900 – ₹1,42,400/) में प्रशासनिक अधिकारी अथवा लेखा और वित्त अधिकारी, जिनके पास उस श्रेणी में नियमित आधार पर **नौ वर्ष** की सेवा प्रदान की हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र या विषय में **दो सप्ताह** का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी, जो - (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो;		**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -** 1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. निदेशक या वैज्ञानिक 'ई', भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या संगठन से निदेशक या वैज्ञानिक 'ई' - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) **जिसमें निम्नलिखित होंगे: -** 1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; 2. निदेशक या वैज्ञानिक 'ई', भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या संगठन से निदेशक या वैज्ञानिक 'ई' - सदस्य।		लागू नहीं होता

या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में **स्तर-10 (₹56,100–₹1,77,500/-)** अथवा समतुल्य पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात **पाँच वर्ष** की सेवा कर ली हों; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के **स्तर-9 (₹53,100–₹1,67,800/-)** अथवा समतुल्य पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात **सात वर्ष** की सेवा पूरी कर ली हों; या (iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के **स्तर-8 (₹47,600–₹1,51,100/-)** अथवा समतुल्य पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात **आठ वर्ष** की सेवा पूरी कर ली हों। **(ग) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हों, अर्थात्:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि; और **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पावधि अनुबंध सहित) जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **छप्पन वर्ष** से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 01(03)/2026-पी.III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

[Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

G.S.R. 666(E).— In exercise of the powers conferred by the clause (ze) of sub-section(2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Joint Director and Deputy Director in the Indian Computer Emergency Response Team, under the Ministry of Electronics and Information Technology, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team, (Director, Joint Director and Deputy Director) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. **-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Other conditions of service**: **-** Other conditions of service of the officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to similar category **or** level of officers and employees of the Central Government .

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Director.	02* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Non-selection post.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Methods whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term-contract) .

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Joint Director in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade within Indian Computer Emergency Response Team and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	**Departmental Promotion Committee (considering for promotion) consisting of: -** 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairperson; 2. Joint Secretary or Scientist 'G' in Indian Computer Emergency Response Team - Member; 3. Joint Secretary/Scientist 'G' from a Ministry or Department or Organisation other than Indian Computer Emergency Response Team and Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix(Rs. 78,800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; **(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-** (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute; and (ii) fifteen years of experience in dealing with matters pertaining to administration or finance or personnel with emphasis on tenders or cost and accounts or recruitment matters. **Note 1**:The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Joint Director.	02* (2026) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level- 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Non-selection post.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 -208700) with five years regular service in the grade within Indian Computer Emergency Response Team and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department;or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; **(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-** (i) Bachelor's degree from are recognised university or institute; and (ii)ten years of experience in dealing with matters pertaining to administration or finance or personnel with emphasis on tenders or cost and accounts or recruitment matters.	**Departmental Promotion Committee (considering for promotion) consisting of: -** 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairperson; 2. Joint Secretary or Scientist 'G' in Indian Computer Emergency Response Team - Member; 3. Joint Secretary or Scientist 'G' from a Ministry or Department or Organization other than Indian Computer Emergency Response Team and Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

Note 1:The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt to applications.		

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Deputy Director.	04* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level- 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Non-selection post.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract.

(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Section Officer in level-8, in the pay matrix (Rs. 47600-1,51,100) with eight years of regular service in the grade within Indian Computer Emergency Response Team and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time; Or Administrative Officer or Account and Finance Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with nine Years of regular service in the grade within Indian Computer Emergency Response Team and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as specified by the competent authority from time to time. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) Consisting of: -** 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairperson; 2. Director or Scientist 'E' in Indian Computer Emergency Response Team - Member; 3. Director or Scientist 'E' from a Ministry or Department or Organisation other than Indian Computer Emergency Response Team and Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Deputation (including short- term contract):** Officers of the Central Government or State Government or public sector undertakings, autonomous bodies or statutory organisations – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level 10(Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' service rendered after appointment to the posts on regular basis in level-9(Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the present cadre or department; (iv) with eight years service rendered after appointment to the post on regular basis in level-8(Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the present cadre or department.) (b)**possessing the following education qualifications and experience, namely:-** (i) Bachelor's Degree from a recognised university or institute ; and (ii) five years' experience of application of rules, regulations and procedures in the area of establishment and administrative rules, financial rules and regulations and financial management practices in Central Government. **Note 1**:The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairperson; 2. Director or Scientist 'E' in Indian Computer Emergency Response Team - Member; 3. Director or Scientist 'E' from a Ministry or Department or Organisation other than Indian Computer Emergency Response Team and Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	

Note 2: Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 01(03)/2026-P.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA